भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4168
उत्तर देने की तारीख 27.03.2023

लोकगीत कलाकारों के संरक्षण हेतु छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति

4168. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय लोकगीत कलाकारों के संरक्षण के लिए छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति वित्तीय सहायता योजना कार्यान्वित करता है;
(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन संगीत नाटक अकादमी भी अपनी सलाहकार समितियों की सिफारिश पर देशभर के लोकगीत कलाकारों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क) : जी हां, संस्कृति मंत्रालय लोक गीत कलाकारों सहित सभी विधाओं के कलाकारों के संरक्षण हेतु 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति'' नामक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।
(ख): कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति स्कीम में तीन घटक शामिल हैं यथा (i) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना (एसवाईए), (ii) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान करना और (iii) सांस्कृतिक शोध हेतु टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान करना (टीएनएफसीआर)। इन स्कीम घटकों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) **विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना (एसवाईए)'**। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के चयनित लाभार्थियों को दो वर्षों की अवधि के लिए चार बराबर की छमाही किस्तों में 5000/- रू प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा किसी गुरू या संस्था के तहत न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो। विद्वानों का चयन मंत्रालय द्वारा गठित छात्रवृत्ति हेतु विशेषज्ञ समिति के समक्ष निजी साक्षात्कार/परस्पर संवाद में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

(ii) **विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान करना-** इस स्कीम घटक के अंतर्गत, 40 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के चयनित अध्येताओं को सांस्कृतिक शोध कार्य हेतु 02 वर्ष की अवधि के लिए 20,000/- रू. प्रतिमाह की दर से चार बराबर की छमाही किस्तों में वरिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। कनिष्ठ अध्येतावृत्ति, 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के चयनित अध्येताओं को 10,000/- रू. प्रतिमाह की दर से चार बराबर की छमाही किस्तों में 02 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। एक बैच वर्ष में 400 तक वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येताओं का चयन वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है।

(iii) **सांस्कृतिक शोध हेतु टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान करना (टीएनएफसीआर):** इस स्कीम घटक के अंतर्गत, अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों यथा टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और टैगोर शोध छात्रवृत्ति, के तहत 04 विभिन्न समूहों में विभिन्न भागीदार संस्थाओं के अंतर्गत संबद्धता द्वारा सांस्कृतिक शोध पर कार्य हेतु चुना जाता है। अध्येताओं और विद्वानों का चयन राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) द्वारा किया जाता है। चयनित अध्येताओं को दो वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए प्रति माह 80,000/- रुपये की दर से वित्तीय सहायता + आकस्मिक भत्ता और विद्वानों को प्रति माह 50,000/- रुपये की दर से वित्तीय सहायता + आकस्मिक भत्ता प्रदान किया जाता है। यह वित्तीय सहायता चार बराबर की छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

(ग): जी, हां। "मंच कलाओं में शोध के लिए व्यक्तियों को परियोजना अनुदान" स्कीम के अंतर्गत, संगीत नाटक अकादेमी द्वारा सलाहकार समिति की सिफारिश पर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****